

11.01.18

पत्रावली पेश। वकील पार्थी अनु०। चूंकि पूर्व
 वाद कडक हाजरी कडक चेंबरी में खारीज
 हो चुका है, अतः आवेदन में जागे की कार्यवाही
 देवी स्वर पर समाप्त की जाकर आवेदन
 खारीज किया जाता है। पत्रावली केस ल
 सुनार होकर साक्षिक सप्टर हो।

सहायक कमिश्नर
 (SDO) चौहदन